संख्या-25/691/38-6-15-1(पीएमएजीवाई)/2015 टीसी-1

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक: जून, 2015**

विषय:- प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई-सितम्बर,2014) की गाइड लाइन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के संलग्न दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यवाही कराने का कष्ट करें। गाइड लाइन के अनुसार संक्षिप्त विषय निम्नवत है:-

1- गाइड-लाइन्स के अनुसार वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति से संबंधित आबादी देश की कुल आबादी का 16.6 प्रतिशत है। उ0प्र0 में यह आबादी 20.7 प्रतिशत है। गाइड-लाइन्स के प्रस्तर 1.5.2.2 में एससीएसपी को वर्गीकृत करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है।

2- गाइड-लाइन्स के प्रस्तर-2 में आदर्श ग्राम का **विजन** निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत भौतिक अवस्थापना, सैनिटेशन एवं इनवायरमेन्ट सामाजिक अवस्थापना, मानव विकास एवं सोशल हरमनी तथा आजीविका एवं भौतिक तथा सामाजिक आर्थिक अवस्थापना का विवरण प्राविधानित है।

3- **भौतिक अवस्थापना** के अंतर्गत आदर्श गांव के अंतर्गत गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, समस्त घरों में बिजली, आन्तरिक सड़क एवं स्ट्रीट लाइट, पोस्ट आफिस, टेलीफोन एवं यथा संभव इंटरनेट के साथ बैंक सुविधा की व्यवस्था सहित कोई भी परिवार आवास विहीन नहीं होना चाहिए।

4- प्रत्येक आदर्श गांव में **सैनिटेशन एवं इन्वायरमेन्ट** की उच्च कोटि की सुविधा होनी चाहिए जिसके अंतर्गत शुष्क शौचालय वर्जित है। इस संबंध में निर्मल ग्राम पुरस्कार के मानक अपनाये जाने चाहिए। इनवायरमेन्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं जल संग्राहकों का

http://shasanadesh.up.nic.in

रख-रखाव, नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा एवं वायु ऊर्जा तथा धुँआ रहित चूल्हें का प्रयोग होना चाहिए।

5- **सामाजिक अवस्थापना एवं मानव विकास** इत्यादि के अंतर्गत समुचित स्तर के ऑगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत एवं सामुदायिक हाल के आकर्षक भवन तथा खेलने एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था 3-6 वर्ष के बच्चों का ऑगनबाड़ी में तथा 6-14 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल में नामांकन होना चाहिए। समस्त वयस्क साक्षर हों और उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर होने हेतु सुविधा होनी चाहिए। माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य की प्राथमिक देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, शत-प्रतिशत संस्थागत डिलेवरी तथा जनमानस में छोटे परिवार की भावना होनी चाहिए। एक समुदाय के रूप में गांव को महिलाओं, बच्चों (विशेष रूप से लड़कियों) वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गांव के पास एक क्रियाशील ग्रामसभा/ग्राम पंचायत, महिलाओं/स्वरोजगारियों के स्वयं सहायता समूह, यूथक्लब एवं महिला मण्डल होना चाहिए। जाति आधारित वर्गीकरण एवं छूआछूत का अभाव तथा अशक्तों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीणों को जागरूक एवं अपने संवैधानिक तथा न्यायिक अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए।

6- गांव के सभी नौजवान और वयस्क को **रोजगार और आजीविका हेतु कौशल विकास** के संबंध में शिक्षित करके जितना संभव हो सके स्वरोजगारी बनाया जाना, कृषि पशुपालन एवं मछली पालन आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों के संबंध में नई तकनीकी जानकारियां दिया जाना तथा कृषि एवं अन्य उत्पादों के उचित मूल्यों के संबंध में उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए।

7- आदर्श ग्राम के अंतर्गत मुख्य रूप से भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत रोड नेटवर्क, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट एवं आवासीय सुविधायें तथा सामाजिक, आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शिक्षा एवं कौशल विकास, हेल्थ केयर, पोस्ट आफिस एवं बैंक, आजीविका सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा तथा विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों इत्यादि के लिए सुविधायें दिया जाना सम्मिलित है।

8- गाइड लाइन के प्रस्तर-4 के अंतर्गत योजना के लिए **अप्रोच एवं स्ट्रेटजी** तथा प्रस्तर 4.2 में आब्जेक्टिव,स्ट्रेटजी एवं योजनाओं की सूची अंकित की गयी है। गैंप फिंलिग की धनराशि रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर सितम्बर-2011 में रू0 20.00 लाख कर दी गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के 200 गॉवों के चयन का लक्ष्य है।

9- लक्षित समूह के अन्तर्गत गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं एवं बच्चें तथा अक्षम निवासियों इत्यादि को लिया गया है।

10-योजना के मुख्यतया 02 कम्पोनेन्ट है:- टेरिटोरियल एरिया रिलेटेड एवं फक्शनल एरिया रिलेटेड। **टेरिटोरियल एरिया रिलेटेड** कम्पोनेन्ट के अंतर्गत कन्वरजेन्स एवं गैप फिंलिग तथा **फक्शनल एरिया रिलेटेड के** अंतर्गत प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढीकरण, टेक्निकल रिसोर्स सपोर्ट, जागरूकता एवं प्रचार, मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (एमआईएस), मूल्यांकन तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है। फक्शनल एरिया वाईज कम्पोनेन्ट के विभिन्न मदों में गैप फिलिग की कुल 05 प्रतिशत धनराशि के वित्त-पोषण की व्यवस्था की गई है।

11-गैप फिलिग कम्पोनेन्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए एक वर्ष तथा कन्वरजेन्स के अंतर्गत कार्य हेतु आदर्श गांव के लिए 03 वर्ष का समय प्राविधानित है।

12-अनुश्रवण संबंधी लक्ष्यों में गरीबी दूर करना, सारभौम साक्षरता, शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन, शिशु दर में कमी, निर्मल ग्राम पुरस्कार का मानक, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव की व्यवस्था, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, सड़क की व्यवस्था, जन्म/मृत्यु दर का शत-प्रतिशत पंजीकरण, बाल विवाह एवं बाल श्रम निषेध तथा आवास हेतु योग्य परिवारों को शत-प्रतिशत इंदिरा आवास दिये जाने संबंधी अनुश्रवण की व्यवस्था है। उपरोक्त लक्ष्य योजना के प्रारम्भ से तीन साल तक के लिए निर्धारित है।

13-गाइड-लाइन्स के प्रस्तर-11 के अन्तर्गत गैप फिलिंग कम्पोनेन्ट हेतु केन्दीय सहायता दिये जाने की शर्ते तथा राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गई है। योजना हेतु गांव चयनित करने का कार्य एक ही जनपद अथवा प्राथमिकता के तौर पर 2-3 जनपदों को शामिल करके किया जा सकता है।

14-भारत सरकार द्वारा जारी पीएमएजीवाई की गाइड-लाइन्स में राज्य, जनपद, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था दी गयी है:-

1. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना।
2. राज्य स्तरीय कम मानिटरिंग समिति का गठन किया जाना।
3. विभिन्न स्तर(राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर पर) पर कार्यक्रम निदेशक की व्यवस्था।
4. तकनीकी रिसोर्स सपोर्ट की व्यवस्था एवं क्षमता वृद्वि किया जाना।
5- चयनित गांवों का बेसलाइन सर्वे किया जाना।
6- ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी उनका अनुमोदन तथा क्रियान्वयन संबंधी कार्य किया जाना।
7- चालू योजनाओं के कनवरजेन्ट के क्रियान्वयन का कार्य किया जाना।
8- योजना का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी कार्य किया जाना।
9- विभिन्न क्रियाकलापों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन किया जाना।

15- गाइड-लाइन के प्रस्तर-13 में योजना के अनुश्रवण की निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:-

1- **राष्ट्रीय स्तर-** केन्द्रीय स्टीयरिंग कम मानीटरिंग कमेटी का गठन।
2- **राज्य स्तर-** राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कम मानीटरिंग कमेटी का गठन।
3- **जिला स्तर**- जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन (भारत सरकार द्वारा गठित की जानी है।)

http://shasanadesh.up.nic.in

4- **ब्लाक स्तर**- ब्लाक पंचायत स्तर पर गठन।

5- **ग्राम स्तर**- ग्राम पंचायत स्तर पर गठन।

16- गाइड-लाइन्स के प्रस्तर-14 एवं प्रस्तर-15 में क्रमश: **सोशल आडिट** तथा **प्रगति आख्या का प्रस्तुतीकरण** किये जाने की व्यवस्था सुस्पष्ट रूप से दी गयी है, जिसके आधार पर योजना का सोशल आडिट तथा प्रगति आख्या का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

कृपया भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में दी गयी उपरोक्तानुसार(गाइड लाइन की प्रति संलग्न) व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अविलम्ब आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-25/691(1)/38-6-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4-प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6-प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
7-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10-महानिदेशक, एसआईआरडी, बक्शी का तालाब, उ0प्र0 लखनऊ।
11-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण/मुख्य विकास अधिकारीगण, उ0प्र0।
12-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in